Shortcomings in No Objection Portal

***1474. SH.AMIT SIHAG, M.L.A.:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that there are following shortcomings in no objection certificate portal of Urban Local Bodies Department:-
   i) the development tax is imposed on old constructed colonies for which rules are not clarified;
   ii) approved areas are shown as unapproved and most of the unapproved area has shown as approved;
   iii) residential property has shown as commercial property;
   iv) the record of portal is different from the offline record of Municipal Council; and

b) if so, the steps are being taken by the Government to overcome the abovesaid shortcomings togetherwith the details thereof?

ANIL VIJ, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

a) No Sir, there is no portal in the name "No Objection Certificate", but a portal namely "No Dues Certificate" has been launched by Urban Local Bodies Department.
   i) There is no development tax, but development charges which are levied in municipal limitsexcept the residential properties falling in Lal Dora.
   ii) & iii) No. Approved, unapproved, residential and commercial areas/properties are shown correctly on the portal. But there can be some isolated mistakes and there is clearly a procedure to correct such mistakes. This correction is being done regularly and it is an ongoing process.
   iv) Each Municipal Body has uploaded the offline data available with them on the 'No Dues Certificate' portal. However, if there are some errors, the same are corrected after following due process.

b) Whenever errors are pointed out by citizens or municipal bodies itself, the same are corrected immediately by the Competent Authority.

अनापत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल में खामियां

*1474 **श्री अमित सिहाग, एम0एल0ए0:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल में निम्नलिखित खामियां हैः–

i. पुरानी निर्मित कॉलोनियों पर विकास कर लगाया जाता है जिसके लिए नियम स्पष्ट नहीं हैं;

ii. स्वीकृत क्षेत्रों को अस्वीकृत के रूप में दिखाया गया तथा अधिकांश अस्वीकृत क्षेत्रों को स्वीकृत के रूप में दिखाया गया है;

iii. आवासीय संपत्ति को व्यवसायिक संपत्ति के रूप में दिखाया गया है;

iv. नगर परिषद् के ऑफलाइन रिकार्ड पोर्टल के रिकार्ड से अलग है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

(क) नहीं श्रीमान जी, "अनापत्ति प्रमाण पत्र" नाम से कोई पोर्टल नहीं है, परन्तु एक पोर्टल नामतः "बेबाकी प्रमाण पत्र" का शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है।

i. कोई विकास करन हीं होता, परन्तु लाल डोरा में पड़ने वाली आवासीय सम्पत्तियों को छोड़कर, पालिका

सीमाओं में लगने वाला विकास शुल्क लिया जाता है।

ii) & iii) नहीं। अधिकृत, अनाधिकृत, आवासीय तथा वाणिज्यिक क्षेत्र/संपत्तियां पोर्टल पर सही दशाई गई हैं। परन्तु कुछ पृथक कमियां हो सकती हैं तथा इन कमियों के सुधारने की स्पष्ट प्रक्रिया है। यह सुधार नियमित रूप से किया जा रहा है तथा यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

iv) हर नगर निकाय द्वारा "बेबाकी प्रमाण पत्र" पोर्टल पर उनके पास उपलब्ध आफलाईन डाटा के आधार पर डाटा अपलोड किया गया है। तथापि, यदि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, उनका सुधार पूर्ण प्रक्रिया अपनाने के बाद किया जाता है।

(ख) जब भी नागरिकों अथवा स्वयं नगर निकायों द्वारा कोई त्रुटि ध्यान में लाई जाती है, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरन्त ठीक कर दी जाती है।